




दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अम्युक्ति
16.12.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। सटिफिकेट देनदार को Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act. 1914 के Section – 7 के तहत Form – 3 में पुनः नोटिस निर्गत करें। सुनवाई की अगली तारीख दिनांक – 19/12/2022 निर्धारित की जाती है। अभिलेख दिनांक – 19/12/2022 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित  16/12/2022</p> <p>नीलाम पत्र अधिकारी खूँटपानी।</p>	लेखापित एवं संशोधित  16/12/2022
19.12.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। Section – 7 के तहत निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। सटिफिकेट देनदार की ओर से 647/- रुपया जो प्रखण्ड कार्यालय खूँटपानी में NR No - 1696082 दिनांक – 19.12.2022 जमा करने संबंधित रसीद प्रस्तुत किया गया है। अधियाचित राशि के जमा होने के पश्चात Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act. 1914 के Section 53 (II) के तहत नीलाम नत्र वाद की कारवाई समाप्त की जाती है। पंजी – 10 में इसे दर्ज करें।</p> <p>लेखापित  19/12/2022</p> <p>नीलाम पत्र अधिकारी खूँटपानी।</p>	<p>लेखापित एवं संशोधित  19/12/2022</p> <p>नीलाम पत्र पदाधिकारी खूँटपानी।</p>